राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2024 जयपुर दिनांक 04 DEC 2024.

::अधिसूचना::

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49) की धारा 4 (2) सपठित धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगों की अन्वीक्षा (ट्रायल) करने हेतु निम्नलिखित जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के सेशन न्यायालय, सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनके पीठासीन अधिकारियों को उनके पदस्थापन की तारीख से, विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां	बारां	राजस्व जिला बारां
2	विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ	राजस्व जिला चित्तौडगढ
3	विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द	राजसमन्द	राजस्व जिला राजसमन्द
4	विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर	सीकर	राजस्व जिला सीकर

नोट- साथ ही पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में उपरोक्तानुसार क्षेत्राधिकार वर्तमान में कार्यरत विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के क्षेत्राधिकार में संशोधित किया जाता है एवं उपरोक्त न्यायालयों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सैशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

04.12.24

(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, बारां/चित्तौडगढ/राजसमन्द/सीकर।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

(अंकित रमन) 11.12.24.
संयुक्त शासन सचिव